संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल–2/फा.न.429/इन्दौर/2017 भोपाल दिनांक

आदेश

डॉ. प्रभा शुक्ला स्त्री रोग विशेषज्ञ को गोविन्द वल्लभ पंत जिला चिकित्सालय इन्दौर में पदस्थी दौरान उप संचालक (शिशु स्वास्थ्य) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दिनांक 21.01.2015 को जिला चिकित्सालय इन्दौर के एन.बी.एस.यू. एवं लेबर रूम के भ्रमण उपरांत उनके द्वारा प्रेषित निरीक्षण टीप दिनांक 03.02.2015 के अनुक्रम में डॉ. श्रीमती प्रभा शुक्ला को संचालनालय के पत्र दिनांक 23.04.2015 द्वारा निम्न आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया :–

दिनांक 16.01.2015 को फातमा स्माइल ने सायंकाल 6.13 जिला चिकित्सालय इन्दौर में 1.8 किलो के एक नवजात शिशु को जन्म दिया उक्त प्रसव को आपने Full Term Normal Delivery अंकित कर दिनांक 18.01.2015 को माता एवं शिशु को डिस्चार्ज किया जबकि शिशु लो–बर्थ वेट था जिसे प्रसव के पश्चात् एन.बी.एस.यू./एस.एन.सी.यू. में रखा जाना चाहिए था जो आपके द्वारा नही रखा और उसे 18 जनवरी 2015 को डिस्चार्ज कर दिया।

दिनांक 17.01.2015 को कृष्णा पति सुखलाल निवासी प्रजापति नगर द्वारा जिला चिकित्सालय इन्दौर में रात 10.35 पर 1.9 किलो के शिशु को जन्म दिया इस प्रसव का उल्लेख Full Term Normal Delivery के रूप में किया गया तथा No iugr (intra uterine Growth Retardation) अंकित किया गया जबकि शिशु सामान्य से कम वजन का था। आपके द्वारा दिनांक 19.01.015 को माता एवं शिशु दोनो को डिस्चार्ज कर दिया गया।

डॉ. प्रभा शुक्ला ने दिनांक 15.06.2015 को प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि उनके पुत्र की सगाई 18 जनवरी को होने से वे दिनांक 17.01.2015 से 19.01.2015 तक अवकाश पर थी किन्तु 19 जनवरी को पल्स पोलियो होने एवं सिर्फ डॉ. जोधपुरकर अकेले ड्यूटी पर थी। इसलिए सिविल सर्जन के टेलीफोन आदेश पर वे 10 बजे अस्पताल पहुॅची तब तक उक्त दोनो महिलाऐं डिस्चार्ज हो चुकी थी।

सिविल सर्जन इन्दौर ने अपने पत्र दिनांक 14.06.2016 द्वारा अवगत कराया कि कारण बताओ सूचना पत्र में अंकित घटनाओं की तिथियों में डॉ. शुक्ला अवकाश पर थी। जिला चिकित्सालय में कार्य सुविधा की दृष्टि से उन्हे दिनांक 19.01.2015 को बुलाया गया था जिस पर वे उपस्थित थी। प्रकरण में डॉ. शुक्ला को दिनांक 06.09.2017 को समक्ष में सुना गया।

डॉ. प्रभा शुक्ला स्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर परीक्षणोपरांत संतोषजनक पाया गया। डॉ. प्रभा शुक्ला दिनांक 30.04.2016 को शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त हो चुकी है। अतः एतद् आदेश द्वारा डॉ. प्रभा शुक्ला स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय इन्दौर को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 23.04.2015 नस्तिबद्ध किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

(डॉ. जे.पी. खरे)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/4/शिका./सेल–2/फा.न. 429/इन्दौर /2017 2089 भोपाल दिनांक 30/12/17

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतुः–

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।

2 निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।

3 कलेक्टर जिला इन्दौर म.प्र.।

4 संचालक एन.एच.एम. अरेरा हिल्स भोपाल की ओर प्रेषित।

5 उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।

6 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.।

7 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर म.प्र.।

8 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पता अधीक्षक इन्दौर म.प्र.।

9 डॉ. प्रभा शुक्ला स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय इन्दौर द्वाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर म.प्र. ।

10 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

आदेश नस्ति।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–2/फा.न.429/इन्दौर/2017 भोपाल दिनांक

आदेश

डॉ. बी.एस. शेखावत शिशु रोग विशेषज्ञ गोविन्द वल्लभ पंत जिला चिकित्सालय इन्दौर में पदस्थी दौरान उप संचालक (शिशु स्वास्थ्य) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दिनांक 21.01.2015 को जिला चिकित्सालय इन्दौर के एन.बी.एस.यू. एवं लेबर रूम के भ्रमण उपरांत उनके द्वारा प्रेषित निरीक्षण टीप दिनांक 03.02.2015 के अनुक्रम में डॉ बी.एस. शेखावत को संचालनालय के पत्र दिनांक 23.04.2015 द्वारा निम्न आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया :–

जिला चिकित्सालय इन्दौर के प्रसव कक्ष में डॉ. शेखावत द्वारा प्रसूता रूबीना के जुड़वा बच्चों को एन.बी.एस.यू. में भर्ती कर बच्चों को ऑक्सीजन एवं आई. व्ही. फ्ल्यूड प्रिसकाइब किया गया। लगभग दो घंटे पश्चात् उप संचालक शिशु स्वास्थ्य द्वारा एन.बी.एस.यू. का भ्रमण करने पर जुड़वां बच्चे वहॉ भर्ती नही पाए गये परिजनों के पास पाए गयें। डॉ. शेखावत द्वारा बच्चों को उपचार उपलब्ध करवाने हेतु कोई व्यवस्था नही की गई न ही किसी प्रकार का Follow up किया गया।

डॉ. शेखावत ने अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि वे जिला चिकित्सालय इन्दौर में शिशु रोग विशेषज्ञ सह एन.बी.एस.यू. प्रभारी है। दिनांक 21.01.2015 को इमरजेंसी में उनके द्वारा तीन सीजेरियन ऑपरेशन अटेन्ड किये गये थे। प्रसूता रूबीना के जुड़वा शिशुओं को उनके द्वारा कोई भी आई.व्ही.फ्लूड, आक्सीजन एवं अन्य दवाईयॉ प्रिसकाइव नही की गई थी। उनके द्वारा जुड़वा एक बच्चे को जिसे हल्की सॉस की तकलीफ थी को सॉस की तकलीफ बने रहने पर एन.व्ही.एस.यू में भर्ती करने की सलाह दी गई थी परन्तु सायं 5.45 पर दुबारा बच्चे का ओ.टी. में परीक्षण करने पर उसका रेसपीरेटरी डिस्ट्रेस सेटल पाया और स्टाफ नर्स को उसे परिजन को देने हेतु कहा। प्रसूता एवं दोनो बच्चे पूर्ण स्वस्थ्य ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुए।

डॉ. बी.एस. शेखावत को समक्ष में सुना गया, डॉ. शेखावत द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर वर्क परफारमेंस रिर्पोट का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत डॉ. व्ही.एस.शेखावत शिशु रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय इन्दौर को अपने पदीय दायित्वो के प्रति पूर्ण रूप से कर्तव्य परायण न रहने के परिणाम स्वरूप एतद् आदेश द्वारा भविष्य में अपने पदीय दायित्वो एवं कार्य के लिए सचेत करते हुए प्रकरण समाप्त किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

(डॉ. जे.पी. खरे)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/4/शिका./सेल–2/फा.न. 429/इन्दौर /2017 2091 भोपाल दिनांक 30/12/17

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतुः–

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।

2 निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।

3 कलेक्टर जिला इन्दौर म.प्र.।

4 संचालक एन.एच.एम. अरेरा हिल्स भोपाल की ओर प्रेषित।

5 उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।

6 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.।

7 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर म.प्र.।

8 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पता अधीक्षक इन्दौर म.प्र.।

9 डॉ. बी.एस. शेखावत शिशु रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय इन्दौर द्वाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर म.प्र. ।

10 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

आदेश नस्ति।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–2/फा.न. /इन्दौर/2017 भोपाल दिनांक

आदेश

डॉ. मनोज चोपडा तत्कालीन मेडिकल ऑफिसर इन्चार्ज प्रा.स्वा.के. आंतरी जिला ग्वालियर (वर्तमान में जिला चिकित्सालय सिंगरौली में पदस्थ) को कार्यालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के पत्र कमांक क्यू/विकास/स्था./23–4/30/2006/4324 दिनांक 04.04.2007 द्वारा इस आशय का कारण बताओं नोटिस जारी किया गया कि :–

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये, ग्वालियर द्वारा दिनांक 06.05.2006 को प्रातः 9.40 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आंतरी के आकस्मिक निरीक्षण दौरान डॉ. चौपडा प्रातः 9.40 बजे तक अस्पताल में उपस्थित नही हुए, एवं आप मुख्यालय में निवास नही करते है। आपकी संस्था को बीमांक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया गया है। जिसमें आपके द्वारा प्रसूति कक्ष में आवश्यक उपकरण, दवाईयॉ एवं स्वच्छता की व्यवस्था नही की गई। आपके अधीनस्थ अमला जो प्रसव के लिए है, मुख्यालय में निवास नही करते एवं भ्रमण के दौरान अनुपस्थित पाए गये। इन परिस्थितियों में चिकित्सालय में प्रसव से संबंधित महिलाओं को लाभ नही दिया जा रहा है। प्रसूति कक्ष में कॉपर टी 98 की अवसान तिथि एवं आई.ई.वी. सेट 2005 की एवं 50 कॉपर टी 2000 अवसान तिथि का रखा जाना आपके द्वारा नही देखा जाना आपकी लापरवाही दर्शाता है।

2 – डॉ. मनोज चौपडा ने अपना प्रतिवाद उत्तर दिनांक 11.06.2007 को प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया कि निरीक्षण दिनांक को वे संस्था के लेबर रूम एवं ओ.टी. में मरम्मत कार्य हेतु एस्टीमेट लेने ग्वालियर गये थे। मेरे द्वारा मुख्यालय पर रहकर ही कार्य किया जाता है।

प्रा.स्वा.के. आंतरी बीमांक संस्था है। यहॉ 24 घंटे प्रसव की सुविधा उपलब्ध रहती है। संस्था पर आई.एल.आर. एवं डी. फ्रिजर रखा गया है। जिसकी पूरी निगरानी की जाती है। टेम्प्रेचर रिकार्ड का संधारण भी किया जाता है।

कुछ अवसान तिथि की सामग्री पाए जाने के संबंध में डॉ. चौपडा ने उत्तर दिया है कि दिनांक 24.04.2006 को ज्वाइन डायरेक्टर ट्रेजरी की ऑडिट हुई थी। उस समय अवसान तिथि की सामग्री नही पाई गई थी। वर्ष 1998,2000, तथा 2005 की अवसान तिथि की सामग्री मिलना यह सिद्ध करता है कि यह कार्य किसी संस्थागत व्यक्ति द्वारा द्वेषपूर्ण किया गया है।

डॉ. मनोज चौपडा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर पर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर से अभिमत प्राप्त किया गया का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत डॉ. चौपडा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर अवसान तिथि की सामग्री पाये जाने के बिन्दु पर समाधान कारक नही पाया गया, अन्य बिन्दुओ पर समाधान कारक पाया गया। अतः एतद् आदेश द्वारा डॉ. मनोज चौपडा तत्कालीन मेडिकल आफिसर प्रा.स्वा.केन्द्र आंतरी जिला ग्वालियर वर्तमान में जिला चिकित्सालय सिंगरौली को भविष्य में पुनरावृत्ति नही करने के लिए सचेत करते हुए प्रकरण समाप्त किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

(डॉ. जे.पी. खरे)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/4/शिका./सेल–2/फा.न. 20/इन्दौर /2017 2099 भोपाल दिनांक 30/12/17

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतुः–

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2 निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।
3 कलेक्टर जिला ग्वालियर/रीवा म.प्र.।
4 उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, ग्वालियर/रीवा म.प्र.।
6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर/सिंगरौली म.प्र.।
7 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सिंगरौली म.प्र.।
8 डॉ. मनोज चौपडा जिला चिकित्सालय सिंगरौली द्वारा – सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सिंगरौली म.प्र.।
9 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10 आदेश नस्ति।

30.12.17
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल–7/रतलाम/फा.न.100/2017 भोपाल दिनांक

आदेश

संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें (कुष्ठ) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ने उनकी टीप दिनांक 26.06.2014 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 23 एवं 24 जून 2014 को आयोजित राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में जिला कुष्ठ अधिकारी रतलाम ने अवगत कराया कि डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम द्वारा उनके जिले में कुष्ठ कर्मचारियों (नियमित/संविदा) से कुष्ठ कार्यक्रम से संबंधित कार्य न लिया जाकर उन्हें अन्य कार्यो में संलग्न किया गया है। जिससे कुष्ठ कार्यक्रम विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा है।

उक्त कृत्य के लिए डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम को संचालनालय के पत्र दिनांक 2.08.2014 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए प्रतिवाद उत्तर चाहा गया था। जो आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ है।

डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा दिनांक 31.10.2016 को सेवानिवृत्त हो चुके है। विचारोपरान्त प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

(डॉ. जे.पी. खरे)
उपसंचाल (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल–7/रतलाम/फा.न. 100/2017 2044 भोपाल दिनांक 27/12/17

प्रतिलिपी– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला रतलाम म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक, (कुष्ठ) स्थानीय कार्यालय।
5. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक रतलाम म.प्र.।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
8. डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा (सेवा निवृत्त) तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम द्वारा–क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
9. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ति

उपसंचाल (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.2/फा.क.333/2017/ भोपाल, दिनांक

//आदेश//

संचालनालय के आदेश क्रमांक.4/शिका./सेल.2/इन्दौर/2013/दिनांक 27.06.2013 द्वारा सिविल अस्पताल महू जिला इन्दौर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ डॉ.प्रतिमा राय बाथम को निलंबित करते हुये उन्हें पत्र क्रमांक.1747 दिनांक 27/06/2013 द्वारा आरोप अधिरोपित किये गये :–

आरोप क्रमांक.01 :–

यह कि आप डॉ.प्रतिमा राय बाथम, चिकित्सा अधिकारी के पद पर सिविल अस्पताल महू, जिला इन्दौर में पदस्थ थी। यह कि दिनांक 26.06.2013 को मिशन संचालक,एन.आर.एच.एम.मध्यप्रदेश द्वारा सिविल अस्पताल महू जिला इन्दौर का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान आपके द्वारा लेबर रूम में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन न करना तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन में लापरवाही परिलक्षित हुई है।

2. डॉ.राय को जारी उपरोक्त आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर उनके द्वारा संचालनालय को प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् संचालनालय के आदेश क्रमांक.2233/दिनांक 13.09.2013 द्वारा डॉ.प्रतिमा राय बाथम, चिकित्सा अधिकारी को निलंबन से बहाल कर नवीन पदस्थापना स्थल जिला चिकित्सालय,झाबुआ में उन्हें पदस्थ करते हुये डॉ.बाथम की निलंबन अवधि का निराकरण डॉ.बाथम द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के प्रतिवाद उत्तर पर लिये गये निर्णय उपरान्त पृथक से किया जावेगा।

3. डॉ.प्रतिमा राय बाथम चिकित्सा अधिकारी को जारी आरोप के संबंध में उनके द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करते हुये उन्होने समक्ष में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहा गया तथा माह अप्रैल 2012 से जून 2013 के मध्य की एक वर्ष की वर्क रिपोर्ट प्राप्त करते हुये डॉ.प्रतिमा राय बाथम को स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश के समक्ष दिनांक 20.12.2016 को उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये उक्त दिनांक को उन्हें समक्ष में सुना गया।

4. डॉ.बाथम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर एवं उनकी एक वर्ष की वर्क रिपोर्ट तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उन्हें समक्ष में सुनने के पश्चात् संपूर्ण तथ्यों का सूक्ष्म अवलोकन करने के पश्चात् यह तथ्य संज्ञान में आया कि डॉ.प्रतिमा राय बाथम को दिये गये लक्ष्यों के प्रति उनकी उपलब्धि न्यूनतम होने के साथ ही उनके द्वारा किये गये कार्य के प्रति उनकी लापरवाही स्पष्ट परिलक्षित होने के कारण्ण डॉ.बाथम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर परीक्षणोंपरान्त संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः विषयान्तर्गत प्रकरण में डॉ.प्रतिमाराय बाथम,तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल महू, जिला इन्दौर वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, होल्कर साईंस कालेज इन्दौर की **मध्यप्रदेश सिविल सेवा** (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 (4) के अंतर्गत तीन वार्षिक वेतनवृद्धि असचंयी प्रभाव से रोकते हुये डॉ.बाथम की निलंबन अवधि दिनांक 27.06.2013 से दिनांक 12.09.2013 को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 13.01.2005 अनुसार कर्त्तव्य अवधि मान्य करते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(डॉ.जे.पी.खरे)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.2/फा.क.333/2017/ 2077 भोपाल,दिनांक 29/12/17

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
02. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
03. निज सहायक,मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
04. कमिश्नर,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।
05. कलेक्टर,जिला इन्दौर,मध्यप्रदेश।
06. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा,स्थानीय कार्यालय।
07. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश की प्रविष्टी संबंधित चिकित्सा अधिकारी डॉ.प्रतिमा राय बाथम, **तत्कालीन** सिविल अस्पताल महू इन्दौर **वर्तमान में** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, होल्कर साईंस कालेज इन्दौर की सेवापुस्तिका में दर्ज कराते हुये दर्ज प्रविष्टी की प्रमाणित प्रति से संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा विलंब के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
08. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर,मध्यप्रदेश।
09. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला इन्दौर,मध्यप्रदेश।
10. संभागीय कोष एवं लेखा इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।
11. जिला कोषालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
12. डॉ.प्रतिमा राय बाथम,तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल महू, **वर्तमान में** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, होल्कर साईंस कालेज, इन्दौर **द्वारा** :–क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
13. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ हेतु प्रेषित।
14. आदेश नस्ति ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश